प्रेस नोट- दिनांक 03.02.2024

योजनाबद्ध षड़यंत्र के तहत व्यक्ति की बल पूर्वक न्यूड वीडियो बनाकर अवैध रुप से आभूषण एवं नगदी वसूलने वाली अभियुक्ता सहित कुल 04 अभियुक्तो को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

कब्जे से ब्लेकमेल कर वसूले गये आभूषण एवं 1,45,000/- रुपये किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में एसओजी/ सर्विलांस टीम एवं थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का विवरण-

थाना सिविल लाइन क्षेत्र के निवासी द्वारा थाना सिविल लाइन पर तहरीर दी गई कि दिनांक 01.02.2024 को बबली पत्नी रवि ने अपने परिवारिक मामले को सुलझाने के बहाने उसे अपने घर बुलाया तथा अपने पति रवि के साथ मिलकर योजनाबद्ध षड़यंत्र के तहत उसकी न्यूड वीडियो बल पूर्वक बना ली और ब्लैकमेल करके उसे फर्जी बलात्कार के मुकदमे में फसाने की धमकी देकर उसकी पहनी हुई अंगूठियां, चैन एवं ब्रैसलेट तथा 38500/- रुपये यूपीआई के माध्यम से आयुष उर्फ लोरी पुत्र रामवीर सिंह के खाते में ट्रान्सफर करा लिये। तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 26/24 धारा 388/506 भादवि व 66E आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम आज दिनांक 03.02.2024 को एसओजी/सर्विलांस टीम एवं थाना सिविल लाइन पुलिस थाना क्षेत्रांतर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना के आधार पर ब्लेकमेल कर आभूषण एवं नगदी वसूलने वाले अभियुक्तों को कुनैरा से आगे दतावली नहर पुल के पास से समय 8:55 बजे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ-

गिरफ्तार अभियुक्तों की पुलिस टीम द्वारा तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से ब्लेकमेल कर वसूले गये आभूषण एवं नगदी बरामद की गयी। जिनके संबंध में पूछताछ

की गयी उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगो द्वारा दिनांक 01.02.2024 को सिविल लाइन क्षेत्र के निवासी व्यक्ति को अपने परिवारिक मामले को सुलझाने के बहाने उसे अपने घर बुलाया था। हम लोगों ने साथ मिलकर उसकी न्यूड वीडियो बल पूर्वक बना ली और ब्लैकमेल करके उसे फर्जी बलात्कार के मुकदमे में फसाने की धमकी देकर उसकी पहनी हुई अंगूठियां, चैन एवं ब्रैसलेट तथा 38500/- रुपये यूपीआई के माध्यम से करा लिये। कुछ आभूषण हम लोगो द्वारा सुनार पवन कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय उमेश नारायण गुप्ता निवासी 80 सैयद वाडा रामगंज रोड थाना कोतवाली जनपद इटावा को सस्ते दामों में बेच दिये है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर सुनार पवन कुमार को 01 ब्रेसलेट (सोने का) तथा 01 जंजीर (सोने की) सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.रवी यादव पुत्र शिवराज निवासी नगला बुधू थाना वैदपुरा जिला इटावा उम्र 32 वर्ष

2.बबली यादव पत्नी रवी यादव निवासी शिव शंकर का मकान दलबीर नगर फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा उम्र 30 वर्ष

3.आयुष उर्फ लोरी पुत्र रामवीर सिंह निवासी ग्राम हिंदूपुर नगरिया थाना ऊसराहार जिला इटावा उम्र 20 वर्ष

4.पवन कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय उमेश नारायण गुप्ता निवासी 80 सैयद वाडा रामगंज रोड थाना कोतवाली जनपद इटावा उम्र 46 वर्ष

बरामदगी –

1.01 ब्रेसलेट (सोने का)

2.01 अंगूठी (सोने की)

3.01 अंगूठी चांदी की (नीलम नग लगी हुई)

4.01 जंजीर (सोने की)

5.01 ब्रेसलेट आर्टिफिशियल (रुद्राक्ष लगा हुआ)

6.1,45,000/- रुपये (ट्रांसफर कराए हुए तथा आभूषण बेचकर अर्जित किये हुए)

7.01 मोबाइल (जिसमें वीडियो बनी)

पंजीकृत अभियोगः-

1.मु0अ0सं0 26/2024 धारा 388/506/411/414 भादवि व 66E आईटी एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा

आपराधिक इतिहास-

रवी यादव पुत्र शिवराज

1.मु0अ0सं0 69/2020 धारा 323/504/506 भादवि थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

2.मु0असं0 369/2022 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।

3.मु0अ0सं0 616/2023 धारा 307/323/342/498 ए/504/506 भादवि थाना अजीतमल जनपद औरैया।

4.मु0अ0सं0 26/2024 धारा 388/506/411/414 भादवि व 66E आईटी एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

पुलिस टीम- प्रथम:- उ0नि0 जयप्रकाश यादव प्रभारी एसओजी, उ0नि0 नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलांस मय टीम।

द्वितीय- निरीक्षक श्री यशवंत सिंह प्रभारी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा मय टीम

नोटः- उक्त सराहानीय कार्य करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000/- से पुरस्कृत किया गया है।